राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी-श्री गौरव कुमार मित्तल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 142/24
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2024/232
दायर दिनांक–19.12.2024
निर्णय दिनांक–15-01-2025

1-गोरीया देवी जाखड पुत्री हीरालाल, उम्र व्यस्क,
2. तनवीर जाखड पुत्र हीरालाल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक बडी बहिन गोरीया देवी जाखड़।
3. कविता जाखड पुत्री हीरालाल, उम्र व्यस्क,
4. पूजा देवी जाखड पुत्री हीरालाल उम्र व्यस्क,
5. मनराज जाट पुत्री हीरालाल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक बडी बहिन गोरीया देवी जाखड़।
6. फूमा पुत्री हीरालाल, उम्र व्यस्क,
7. सोना जाट पुत्री हीरालाल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक बड़ी बहिन गोरीया देवी जाखड़।
समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम तित्यारी, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर।

.... प्रार्थीगण

बनाम

1. केली पत्नि माधु, जाति जाट, निवासी ग्राम तित्यारी, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर।
2. कानाराम पुत्र भंवरलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम तित्यारी, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर।
3. किशनलाल पुत्र मांगीलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम तित्यारी, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर।
4. रामचन्द्र पुत्र धन्ना, जाति जाट, निवासी अजमेर। ग्राम तित्यारी, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर।
5. रामदेव पुत्र भंवरलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम तित्यारी, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर
6. रामदीन पुत्र मांगीलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम तित्यारी, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर।
7. रामेश्वर पुत्र भंवरलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम तित्यारी, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर
8. श्योजीराम पुत्र भंवरलाल, जाति जाट, निवासी- ग्राम तित्यारी, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर।
9. श्रवणी पुत्री भंवरलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम तित्यारी, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर।
10. हरकरण पुत्र धन्ना, जाति जाट, निवासी ग्राम तित्यारी, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर।
11- हरदीन पुत्र मांगीलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम तित्यारी, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर।
12. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर।

.... अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 राज० भू-राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम तित्यारी, पटवार हल्का पींगलोद, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करकेडी, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर स्थित कृषि भूमि अंतिम चौसाला आधार जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या नया 69 पुराना 68 के खसरा संख्या 140 क्षेत्रफल 0.0242 हैक्टेयर, खसरा संख्या 141 क्षेत्रफल 6.6176 हैक्टेयर, खसरा संख्या 267/141 क्षेत्रफल 6.3506 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 268/141 क्षेत्रफल 0.0161 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 13.0085 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 की संयुक्त सहखातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। प्रार्थीगण संख्या 1 से 8 के पिता का स्वर्गवास हो गया जिनकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 634 दिनांक 20.06.2024 खोला गया है। प्रार्थीगण की माता श्रीमती गीता देवी पत्नि स्व. श्री हीरालाल का भी स्वर्गवास हो गया इसलिए श्रीमती गीता देवी को इस प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है। वर्तमान जमाबन्दी आधार पर अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2072 से 2075 के अन्तर्गत प्रार्थी संख्या 1 नाम गोरीया देवी जाखड के स्थान पर मूल एवं सहवन से गोरया अंकित हो गया है। जबकि रिकोर्ड के अनुसार प्रार्थी संख्या 1 का वास्तविक नाम गोरीया देवी जाखड है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 तनवीर जाखड के स्थान पर भूल एवं सहवन से तनवीर अंकित हो गया। जबकि रिकोर्ड के अनुसार प्रार्थी संख्या 2 का वास्तविक नाम तनवीर जाखड है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 3 कविता जाखड के स्थान पर भूल एवं

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

सहवन से नेराज अंकित हो गया। जबकि रिकोर्ड के अनुसार प्रार्थी संख्या 3 का वास्तविक नाम कविता जाखड है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 4 पूजा देवी जाखड के स्थान पर भूल एवं सहवन से पूजा अंकित हो गया। जबकि रिकोर्ड के अनुसार प्रार्थी संख्या 4 का वास्तविक नाम पूजा देवी जाखड है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 5 मनराज जाट के स्थान पर भूल एवं सहवन से मनराज अंकित हो गया। जबकि रिकोर्ड के अनुसार प्रार्थी संख्या 5 का वास्तविक नाम मनराज जाट है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 8 फूमा के स्थान पर भूल एवं सहवन से सीमा अंकित हो गया। जबकि रिकोर्ड के अनुसार प्रार्थी संख्या 6 का वास्तविक नाम फूमा है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 7 सोना जाट के स्थान पर भूल एवं सहवन से सोनू अंकित हो गया। जबकि रिकोर्ड के अनुसार प्रार्थी संख्या 7 का वास्तविक नाम सोना जाट है। इसलिए रिकोर्ड के आधार पर प्रार्थीगण संख्या 1 से 7 का नाम उक्त वर्णितनुसार दुरुस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। प्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के वास्तविक नाम से संबंधित आधार कार्ड एवं अंकं तालिकाऐ (मार्कशीट) माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। इसलिए उक्त वर्णित समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण संख्या 1 से 7 का नाम राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में उक्त वर्णित अनुसार दुरूस्त किया जाकर वास्तविक नाम अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अप्रार्थी संख्या 1 से 11 को सह खातेदार होने के आधार पर पक्षकार बनाया गया है। इसके अलावा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 के विरुद्व कोई अन्य कोई अनुतोष नही चाहा गया है। अप्रार्थी संख्या 12 श्रीमान् तहसीलदार रूपनगढ़ को लैण्ड होल्डर होने के आधार पर तथा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के सही नाम का अंकन करने हेतु पक्षकार बनाया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 से 11 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश किया गया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थीगण का वाद वर्णित भूमि में नाम संशोघन किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 12 पैरोकार सरकार (तहसीलदार रूपनगढ़) ने दस्तावेजात के आधार पर नाम दुरुस्ती की जाती है तो इससे कोई राजहित प्रभावित नही होना जाहिर किया। प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वाद वर्णित भूमि में प्रार्थीगण के गलत नाम का इन्द्राज होने से इन्हे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अतः इनके राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करवाने की कृपा करावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, दस्तावेजों का अवलोकन व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यथा अंकतालिका, आधार कार्ड, अप्रार्थीगण की सहमति, शपथ पत्र एवं वकील उभयपक्ष की बहस के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर किया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम तित्यारी के ख0न0 140, 141, 267/141, 268/141 में प्रार्थी संख्या 1 का गोरया के स्थान पर गोरीया देवी जाखड़, प्रार्थी संख्या 2 का तनवीर के स्थान पर तनवीर जाखड़, प्रार्थी संख्या 3 का नेराज के स्थान पर कविता जाखड़, प्रार्थी संख्या 4 का पूजा के स्थान पर पूजा देवी जाखड़, प्रार्थी संख्या 5 का मनराज के स्थान पर मनराज जाट, प्रार्थी संख्या 6 का सीमा के स्थान पर फूमा व प्रार्थी संख्या 7 का सोनू के स्थान पर सोना जाट किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 15-01-25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)